

कार्यालय नगर पंचायत कसडोल

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 373 दिनांक 16/06/2026

-: नियम एवं शर्तें :-

- 01 निर्धारित समय-सीमा में निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेज को आनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे :-
 - (a) अमानत राशि (टी.डी.आर), निविदा शुल्क (डी.डी.) की मूल प्रति।
 - (b) एकीकृत पंजीयन प्रणाली से सक्षम क्षेणी में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति। साझेदारी फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड की सत्यप्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - (c) पैन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति।
 - (d) कार्य की लागत राशि का न्यूनतम 15 प्रतिशत राशि का वैध बैंक साल्वेंसी की प्रति।
 - (e) इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति (विगत 03 वर्ष का)
 - (f) विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रु. 100.00 के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र (मूल शपथ पत्र) (Annexure-13)
 - (g) तकनीकी/इंजिनियर रखे जाने का प्रमाण पत्र, सहमति एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- 02 ई निविदा की पात्रता हेतु सक्षम श्रेणी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित, अमानत राशि का एफ.डी.आर. राष्ट्रीकृत बैंक की मूल कापी एवं निविदा शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने पर टेकनिकल बिड खोला जायेगा। टेकनिकल बिड में वांछित दस्तावेज अनुसार पात्रता होने पर फायनेशियल बिड खोली जायेगी।
- 03 पुराने एफ.डी.आर./टी.डी.आर. एवं पूर्व में जमा धरोहर राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. नहीं मान्य किया जावेगा और नहीं समायोजन किया जायेगा।
- 04 प्रत्येक रनिंग बिल से शासन के निर्देश एवं मापदण्ड अनुसार कटौती की जावेगी।
- 05 सशर्त निविदाएं मान्य नहीं की जावेगी।
- 06 निविदा में किसी भी सुस्पष्ट भाग अथवा निविदा में संशोधन/स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
- 07 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर स्वीकृत होने पर ठेकेदार के रूप में संदर्भित विहित प्रारूप में प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार किए जाने की सूचना दिनांक से 14 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन करेगा। उसमें विफल रहने का परिणाम अग्रिम धन का राजसात एवं निविदा निरस्ती के रूप में होगा।
- 08 निविदा सूचना पत्र की सभी शर्तें पंजीकृत ठेकेदार पर विहित प्रारूप में संविदा की सभी के अलावा बंधनकारी होगी।
- 09 निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 10 किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बगैर कोई कारण बतायें निरस्त करने का एवं कार्य की लागत राशि से कम कार्य कराये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। जिसकी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 11 समस्त सामाग्रीयों के परिवहन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- 12 ठेकेदार के बिल से 05 प्रतिशत की राशि सुरक्षानिधि के रूप में रोकी जायेगी, जिसका नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।

- 13 निविदा दर एसओआर से 10 प्रतिशत कम से अधिक होने की दशा में अंतर की राशि निविदा स्वीकृति की तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए ठेकेदार को आगामी 01 वर्ष के लिए निकाय में किसी भी प्रकार के निविदा में भाग लेने से वंचित करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 14 कार्य के चल देयक में कुल देयक का 85 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 15 राशि उपलब्धता के आधार पर भुगतान की जावेगी।
- 16 यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में निविदा प्रदाय की अंतिम तिथि अथवा निविदा प्राप्ति दिनांक को अवकाश घोषित होता है तो आगामी कार्य दिवस को तदानुसार निविदा प्रपत्र प्रदाय तिथि अथवा निविदा प्राप्ति माना जावेगा।
- 17 निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अनुबंध अनुसार पेनाल्टी/कार्यवाही की जायेगी।
- 18 कार्य स्थल में विवाद होने की स्थिति में/अपरिहार्य कारणों से कार्य निरस्त होने पर निविदा निरस्त करते हुए निविदा प्रपत्र के मूल्य के अलावा अन्य जमा करायी गयी राशि वापस करते हुए अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
- 19 किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि वे निविदा से संबंधित समस्त नियम एवं शर्तों का एवं स्थल अवलोकन कर लिया गया है तथा उन्हें समस्त नियम शर्तें मान्य हैं।
- 20 केन्द्र शासन/राज्य शासन के विभिन्न विभाग जैसे – आयकर विभाग, जी.एस.टी., खनिज विभाग, श्रम विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों का पालन की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
- 21 निविदा राशि का कार्य संपादित नहीं कराने में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
- 22 कार्य प्रारंभ करने के पूर्व फोटो उपलब्ध कराना ठेकेदार का दायित्व होगा। कार्यदेश जारी होने के बाद उप अभियंता से ले आउट प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- 23 दो या दो से अधिक संबंधित व्यक्ति जो एक ही प्रोपराईटर अथवा भागीदार के रूप में हितबद्ध है, समान कार्य के निष्पादन के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। कार्यदेश जारी होने के बाद इस आश्रय की जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में भुगतान स्थगित करते हुए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय अनुसार अग्रिम कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें निविदा निरस्त कर जमा राशि राजसात की स्थिति भी हो सकती है।
- 24 निविदा के किसी भी सुस्पष्ट भाग अथवा निविदा में संशोधन/स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
- 25 ठेकेदार निविदा के अंतर्गत संपूर्ण कार्य अथवा किसी भी भाग किसी अन्य पक्ष अथवा पक्षों का समनुदेशन अथवा उप पट्टे पर नहीं होगा। कार्यों को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
- 26 निर्माण कार्य का भुगतान सामग्री परीक्षण के परिणाम, मापदण्ड के अनुरूप पाये जाने के उपरांत ही किया जायेगा।
- 27 भुगतान में किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान संज्ञान होने पर एजेन्सी से वसूली की जावेगी, जिसके लिए निविदाकर्ता बाध्य है। राजस्व वसूली के समान भरपाई की जावेगी।
- 28 निर्माण कार्य का भुगतान सामग्री परीक्षण के परिणाम, मापदण्ड के अनुरूप पाये जाने के उपरांत ही किया जायेगा।
- 29 ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
30. उत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in व eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

निविदाकार ई-टेंडर के लिफाफा "ए" में अमानत राशि (ईएमडी) एफ.डी.आर. की स्कैन कॉपी, निविदा प्रपत्र शुल्क (डी.डी.) की स्कैन कॉपी तथा विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100.00 के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र की स्कैन कॉपी ऑन लाईन सबमिट करेंगे। लिफाफा "बी" में अपनी पात्रता संबंधी समस्त दस्तावेज ऑनलाईन सबमिट करेंगे। पहले लिफाफा "ए" खोला जायेगा। लिफाफा "ए" में निर्धारित मूल्य का अमानत राशि (ईएमडी) सबमिट होने, निविदा प्रपत्र शुल्क (डी.डी.) की स्कैन कॉपी तथा विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100.00 के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र की स्कैन कॉपी प्राप्त होने पर ही फिजिकल सबमिशन का लिफाफा खोला जावेगा। फिजिकल सबमिशन लिफाफा "ए" में निर्धारित मूल्य के अमानत राशि की मूल प्रति, निविदा प्रपत्र शुल्क (डी.डी.) की मूल प्रति तथा विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रू. 100.00 के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र की मूल कॉपी प्राप्त होने पर ही आनलाईन लिफाफा "बी" पात्रता संबंधी दस्तावेजों का लिफाफा खोला जावेगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने की स्थिति में ही प्राईस बिड खोला जावेगा, अन्यथा अपात्र करते हुए संबंधित निविदाकार का निविदा नहीं खोला जावेगा।

प्राकृत्य अनुमोदित

13/05/26
Executive Engineer
Urban Administration & Development
(Tech. Cell) Raipur (C.C.)

मुख्य नगर/पालिका अधिकारी
मुख्य नगर/पालिका अधिकारी
नगर पंचायत कसठोल
जिला-ब.बा.भाटा.(छ.ग.)